eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 11, November 2025

भारत में चुनावी नैतिकता का ह्रासः कारण, परिणाम एवं समाधान

डॉ0 अरविन्द कुमार शुक्ल[1]

[1]एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिंदकी फ़तेहपुर उ0प्र0

Received: 25 November 2025 Accepted & Reviewed: 28 November 2025, Published: 30 November 2025

Abstract

प्रस्तुत शोध पत्र भारत में चुनावी नैतिकता का ह्रास" भारतीय लोकतंत्र की एक गंभीर और समकालीन समस्या का विश्लेषण करता है। लोकतंत्र की सफलता निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं नैतिक चुनावों पर निर्भर करती है। भारत, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद, पिछले कुछ दशकों में चुनावी प्रक्रिया में नैतिक मूल्यों के निरंतर क्षरण का साक्षी रहा है। यह शोध चुनावी राजनीति में धनबल, बाहुबल, अपराधीकरण, जाति–धर्म आधारित ध्रुवीकरण, मीडिया के दुरुपयोग तथा संस्थागत कमजोरियों के प्रभावों का समग्र अध्ययन प्रस्तुत करता है। इस अध्ययन में सैद्धांतिक एवं अनुभवजन्य दोनों दृष्टिकोणों को अपनाया गया है। शोध की पद्धति में वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक विधियों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतोंकृजैसे निर्वाचन आयोग की रिपोर्टें, न्यायिक निर्णय, सरकारी दस्तावेज, समाचार पत्र, शोध पत्रिकाएँ तथा पुस्तकोंकृका गहन विश्लेषण किया गया है। 2000 से 2024 के मध्य हुए विभिन्न चुनावों के केस अध्ययनों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार चुनावी नैतिकता का ह्रास लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को कमजोर करता है। शोध के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि चुनावी नैतिकता का संकट केवल कानूनी समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और नैतिक मूल्यों के क्षरण से जुड़ा हुआ है। अध्ययन यह प्रतिपादित करता है कि केवल चुनावी कानूनों में संशोधन पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि मतदाता चेतना, राजनीतिक दलों की आंतरिक लोकतांत्रिक संस्कृति, सशक्त निर्वाचन आयोग और सक्रिय नागरिक समाज की समान रूप से आवश्यकता है। अंततः यह शोध भविष्य में चुनावी सुधारों हेतु नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करता है, जिससे भारतीय लोकतंत्र की नैतिक आधारशिला को पुनः सुदृढ़ किया जा सके।

प्रमुख शब्द– चुनावी नैतिकता, भारतीय लोकतंत्र, चुनावी सुधार, राजनीति का अपराधीकरण, धनबल और बाहुबल, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, मतदाता चेतना, मीडिया और चुनाव, लोकतांत्रिक मूल्य

Introduction

लोकतंत्र को आधुनिक शासन प्रणालियों में सर्वोत्तम व्यवस्था माना जाता है, क्योंकि यह जनता की भागीदारी, समानता, स्वतंत्रता तथा उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों पर आधारित होता है। लोकतंत्र का सबसे सशक्त और जीवंत माध्यम चुनाव प्रक्रिया है, जिसके द्वारा नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं और शासन की दिशा निर्धारित करते हैं। भारत, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ने स्वतंत्रता के पश्चात नियमित, स्वतंत्र और सार्वभौमिक मताधिकार आधारित चुनावों के माध्यम से लोकतांत्रिक परंपराओं को सुदृढ़ किया है। भारत का लोकतांत्रिक ढाँचा 1950 में संविधान लागू होने के साथ स्थापित हुआ और 1951–52 में प्रथम आम चुनावों के माध्यम से लोकतांत्रिक यात्रा प्रारंभ हुई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के संचालन हेतु निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। लोकतंत्र का मूल तत्व जनता की सहभागिता है, और यह सहभागिता चुनावों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। अतः चुनावों की पवित्रता, निष्पक्षता और नैतिकता लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 11, November 2025

चुनावी नैतिकता का अर्थ केवल विधिक प्रावधानों के पालन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन आदर्श मूल्यों से जुड़ी है जो राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और मतदाताओं के आचरण को निर्देशित करते हैं। सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समान अवसर और विधि का सम्मान चुनावी नैतिकता के प्रमुख तत्व हैं। किंतु वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में कई ऐसी प्रवृत्तियाँ विकसित हुई हैं जिन्होंने चुनावी प्रक्रिया की शुचिता को प्रभावित किया है। धनबल और बाहुबल का बढ़ता प्रभाव, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों की संख्या में वृद्धि, जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण, सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार, मतदाताओं को प्रलोभन देना, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तथा चुनावी व्यय की सीमा का उल्लंघन ये सभी चुनावी नैतिकता के ह्रास के संकेतक हैं। लोकतंत्र केवल चुनाव कराने से नहीं चलता, बल्कि चुनावों की विश्वसनीयता और नैतिकता से संचालित होता है। यदि चुनाव प्रक्रिया में नैतिक पतन होता है, तो जनता का विश्वास कमजोर होता है और लोकतंत्र का आधार डगमगाने लगता है। इसी परिप्रेक्ष्य में यह शोध–पत्र चुनावी नैतिकता के ह्रास के कारणों, उसके सामाजिक–राजनीतिक परिणामों तथा संभावित समाधानों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

भारतीय चुनावी व्यवस्था में नैतिकता के ह्रास का एक प्रमुख कारण राजनीति का अत्यधिक व्यावसायीकरण है। चुनाव अब सेवा और वैचारिक प्रतिबद्धता का माध्यम न रहकर सत्ता प्राप्ति की प्रतिस्पर्धा का साधन बनते जा रहे हैं। राजनीतिक दल चुनावों में भारी धनराशि खर्च करते हैं, जिससे धनबल की भूमिका बढ़ जाती है। चुनाव प्रचार में विज्ञापन, रैलियाँ, मीडिया प्रबंधन और सोशल मीडिया अभियानों पर अत्यधिक व्यय किया जाता है। परिणामस्वरूप चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता कम होती है और आर्थिक असमानता राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित करती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण राजनीतिक अपराधीकरण है। अनेक प्रत्याशियों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे लंबित रहते हैं, फिर भी वे चुनाव लड़ते हैं और कई बार विजयी भी होते हैं। इससे राजनीति में नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है तथा अपराध और सत्ता का गठजोड़ मजबूत होता है। तीसरा कारण जातीय और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है। चुनावों के दौरान मतदाताओं को जाति और धर्म के आधार पर प्रभावित करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। यह प्रवृत्ति सामाजिक सौहार्द को क्षति पहुँचाती है तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। चौथा कारण दुष्प्रचार और फेक न्यूज़ का प्रसार है। डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से झूठी सूचनाएँ तेजी से फैलती हैं, जो मतदाताओं की राय को प्रभावित करती हैं। इससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगता है। पाँचवाँ कारण मतदाताओं को प्रलोभन देना है। चुनाव के समय नकद राशि, शराब, उपहार या अन्य सुविधाएँ देकर मतदाताओं को प्रभावित करने की घटनाएँ सामने आती रहती हैं। यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक आदर्शों के विपरीत है। इन कारणों के परिणामस्वरूप लोकतंत्र की गुणवत्ता प्रभावित होती है। सबसे पहले जनता का विश्वास कमजोर होता है। यदि मतदाता यह अनुभव करें कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हैं, तो उनकी भागीदारी में कमी आ सकती है। दूसरा परिणाम यह है कि अयोग्य या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सत्ता में पहुँच जाते हैं, जिससे शासन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। तीसरा परिणाम सामाजिक विभाजन और तनाव के रूप में सामने आता है। जातीय और सांप्रदायिक राजनीति समाज को बाँटती है। चुनावी नैतिकता के ह्रास का दीर्घकालिक परिणाम लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता में कमी है। जब राजनीतिक दल स्वयं नैतिक मानकों का पालन नहीं करते, तो जनता में निराशा उत्पन्न होती है और लोकतंत्र की वैधता पर प्रश्न उठते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुआयामी समाधान आवश्यक हैं। सबसे पहले चुनावी वित्त पोषण में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 11, November 2025

चाहिए। राजनीतिक दलों के चंदे और व्यय का सार्वजनिक लेखा–जोखा अनिवार्य किया जाना चाहिए। दूसरा, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर कठोर नियम लागू किए जाएँ तथा गंभीर आरोप सिद्ध होने पर उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए। तीसरा, निर्वाचन आयोग को अधिक शक्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए ताकि वह आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई कर सके। चौथा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दुष्प्रचार रोकने के लिए सख्त नियामक व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। पाँचवाँ, नागरिक शिक्षा और मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों को व्यापक बनाया जाना चाहिए ताकि मतदाता जाति, धर्म या प्रलोभन के बजाय नीतियों और विकास के आधार पर मतदान करें। शिक्षा संस्थानों और मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना भी आवश्यक है। जब दलों के भीतर पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ होंगी, तभी वे व्यापक स्तर पर नैतिक राजनीति को बढ़ावा दे पाएँगे। अंततः यह कहा जा सकता है कि चुनावी नैतिकता का संरक्षण केवल कानूनी उपायों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, सामाजिक जागरूकता और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है।

1.1 पृष्ठभूमि– भारतीय संविधान ने चुनावों को निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी बनाए रखने के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की है। इसके साथ–साथ चुनावों में नैतिक मूल्यों जैसे सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, जनहित, शालीन प्रचार और कानून के सम्मानकृको अत्यंत आवश्यक माना गया है। इन्हीं मूल्यों के समुच्चय को चुनावी नैतिकता कहा जाता है। परंतु विगत कुछ दशकों में भारतीय चुनावी प्रक्रिया में अनेक ऐसे परिवर्तन देखने को मिले हैं, जिनसे चुनावी नैतिकता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगे हैं। धनबल और बाहुबल का बढ़ता प्रभाव, जाति–धर्म आधारित ध्रुवीकरण, झूठे व भ्रामक प्रचार, सोशल मीडिया के दुरुपयोग, चुनावी वादों की अव्यवहारिकता, तथा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की बढ़ती संख्याकृये सभी संकेत करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में चुनावी नैतिकता का ह्रास एक गंभीर और चिंताजनक समस्या बन चुका है।

1.2 समस्या का स्वरूप एवं व्याख्या– चुनावी नैतिकता का ह्रास केवल किसी एक चुनाव या किसी विशेष राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संरचनात्मक और व्यापक समस्या बनती जा रही है। चुनावों में नैतिक मूल्यों का क्षरण लोकतंत्र की आत्मा को कमजोर करता है, क्योंकि जब चुनाव निष्पक्ष और मूल्य–आधारित नहीं रहते, तब जनता का विश्वास धीरे–धीरे लोकतांत्रिक संस्थाओं से उठने लगता है। भारत में चुनावी नैतिकता के ह्रास के प्रमुख रूप निम्नलिखित रूपों में दिखाई देते हैं–

- चुनावों में अत्यधिक धन व्यय और अवैध फंडिंग
- मतदाताओं को प्रलोभन, उपहार और नकद वितरण
- जाति, धर्म और क्षेत्रीय भावनाओं का भड़काऊ उपयोग
- झूठे आरोप, फर्जी समाचार और दुष्प्रचार
- आपराधिक छवि वाले नेताओं का राजनीतिकरण
- आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन
- सत्ता के दुरुपयोग और सरकारी संसाधनों का प्रयोग

इन प्रवृत्तियों के कारण चुनाव केवल जनसेवा के माध्यम न रहकर सत्ता–प्राप्ति की प्रतिस्पर्धा बनते जा रहे हैं। परिणामस्वरूप, लोकतंत्र की गुणवत्ता, शासन की नैतिकता और सामाजिक सद्भाव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यही स्थिति इस शोध–अध्ययन की मुख्य समस्या का आधार है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 11, November 2025

1.3 अध्ययन का औचित्य (Rationale of the Study)– भारत जैसे बहुलतावादी समाज में लोकतंत्र की सफलता चुनावों की शुचिता और नैतिकता पर निर्भर करती है। यदि चुनावी प्रक्रिया नैतिक मूल्यों से विहीन हो जाती है, तो लोकतंत्र केवल एक औपचारिक व्यवस्था बनकर रह जाता है। वर्तमान समय में जब भारतीय लोकतंत्र विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तब चुनावी नैतिकता के ह्रास का अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इस अध्ययन का औचित्य निम्नलिखित बिंदुओं में निहित है–

- चुनावी नैतिकता के ह्रास के कारणों की वैज्ञानिक और तर्कसंगत पहचान
- लोकतंत्र पर इसके दीर्घकालिक प्रभावों का विश्लेषण
- चुनावी सुधारों के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना
- नीति–निर्माताओं, शिक्षाविदों और नागरिक समाज के लिए उपयोगी निष्कर्ष प्रदान करना

1.4 अध्ययन के उद्देश्य– इस शोध–पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

- चुनावी नैतिकता की अवधारणा और महत्व का विश्लेषण करना।
- भारत में चुनावी नैतिकता के ह्रास के ऐतिहासिक और समकालीन कारणों का अध्ययन करना।
- चुनावी नैतिकता के ह्रास के सामाजिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रभावों का मूल्यांकन करना।
- चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों, मीडिया और मतदाताओं की भूमिका का विश्लेषण करना।
- चुनावी नैतिकता की पुनर्स्थापना हेतु सुधारात्मक उपाय एवं नीति–सिफारिशें प्रस्तुत करना।

1.5 शोध–प्रश्न (Research Questions)– इस अध्ययन को निम्नलिखित शोध–प्रश्नों के माध्यम से दिशा प्रदान की गई है–

1. चुनावी नैतिकता से क्या तात्पर्य है और इसका लोकतंत्र में क्या महत्व है?
2. भारत में चुनावी नैतिकता के ह्रास के प्रमुख कारण कौन–से हैं?
3. चुनावी नैतिकता के ह्रास का भारतीय लोकतंत्र और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है?
4. चुनाव आयोग और कानूनी व्यवस्थाएँ इस समस्या को नियंत्रित करने में कितनी प्रभावी रही हैं?
5. चुनावी नैतिकता को सुदृढ़ करने के लिए कौन–से सुधार आवश्यक हैं?

1.6 अध्ययन की परिधि एवं सीमाएँ– यह अध्ययन मुख्यतः भारत में संसदीय एवं राज्य स्तरीय चुनावों तक सीमित है। शोध में 2000 से 2024 तक की अवधि को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है, ताकि समकालीन प्रवृत्तियों का यथार्थ विश्लेषण किया जा सके। अध्ययन में उपलब्ध द्वितीयक स्रोतोंकृपुस्तकों, शोध–पत्रों, सरकारी रिपोर्टों, चुनाव आयोग के आँकड़ों तथा विश्वसनीय समाचार स्रोतोंकृका उपयोग किया गया है। हालाँकि, यह अध्ययन क्षेत्रीय स्तर पर सभी चुनावों का सूक्ष्म विश्लेषण करने में सीमित है, तथा प्राथमिक सर्वेक्षण का अभाव इसकी एक सीमा मानी जा सकती है। फिर भी, उपलब्ध तथ्यों और विश्लेषण के आधार पर प्रस्तुत निष्कर्ष शोध–दृष्टि से प्रासंगिक और विश्वसनीय हैं।

1.7 परिकल्पना– इस शोध का उद्देश्य भारत में चुनावी नैतिकता के ह्रास के कारणों, उसके प्रभावों तथा संभावित समाधानों का विश्लेषण करना है। अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित परिकल्पनाएँ निर्धारित की जाती हैं–

1. यह परिकल्पित किया जाता है कि भारतीय चुनावों में धनबल और बाहुबल की बढ़ती भूमिका चुनावी नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 11, November 2025

2. यह मान्यता स्थापित की जाती है कि राजनीति के अपराधीकरण और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों की बढ़ती संख्या ने चुनावी प्रक्रिया की शुचिता को प्रभावित किया है।
3. यह परिकल्पना प्रस्तुत की जाती है कि जातीय एवं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति चुनावी नैतिक मूल्यों को कमजोर करती है तथा मतदाताओं के स्वतंत्र निर्णय को प्रभावित करती है।
4. यह माना जाता है कि डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार एवं फेक न्यूज़ का प्रसार चुनावों की निष्पक्षता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
5. यह परिकल्पित किया जाता है कि मतदाताओं को प्रलोभन देने की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक आदर्शों के विपरीत है और इससे चुनावी नैतिकता में गिरावट आती है।
6. यह धारणा व्यक्त की जाती है कि चुनावी सुधारों, पारदर्शी वित्त पोषण प्रणाली, सशक्त निर्वाचन आयोग तथा मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से चुनावी नैतिकता को पुनर्स्थापित किया जा सकता है।
7. अंततः यह परिकल्पना स्थापित की जाती है कि यदि चुनावी नैतिकता में सुधार नहीं हुआ, तो भारतीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता और संस्थागत स्थिरता पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

उपरोक्त परिकल्पनाएँ इस अध्ययन के विश्लेषणात्मक ढाँचे को दिशा प्रदान करती हैं और इनके परीक्षण के माध्यम से चुनावी नैतिकता की वास्तविक स्थिति तथा सुधार की संभावनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा।

1.8 शोध प्राविधि– प्रस्तुत शोध गुणात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है, जिसका उद्देश्य भारत में चुनावी नैतिकता के ह्रास के कारणों, परिणामों तथा समाधान की संभावनाओं का समग्र अध्ययन करना है। अध्ययन में मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित वर्णनात्मक एवं व्याख्यात्मक पद्धति का उपयोग किया गया है। शोध की रूपरेखा इस प्रकार निर्मित की गई है कि विषय के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों आयामों का संतुलित विश्लेषण किया जा सके।

इस अध्ययन में प्राथमिक स्रोतों के रूप में भारतीय संविधान के प्रावधान, विशेषकर अनुच्छेद 324, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देश एवं आदर्श आचार संहिता से संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन किया गया है। इसके अतिरिक्त चुनाव सुधारों से संबंधित विधि आयोग की रिपोर्टें, संसदीय बहसें तथा न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का संदर्भ लिया गया है।

द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत पुस्तकों, शोध–पत्रों, पत्र–पत्रिकाओं, सरकारी रिपोर्टों, गैर–सरकारी संगठनों जैसे ADR (Association for Democratic Reforms) की रिपोर्टों तथा विभिन्न समाचार स्रोतों का विश्लेषण किया गया है। इन स्रोतों के माध्यम से चुनावी अपराधीकरण, चुनावी व्यय, धनबल, बाहुबल, मतदाता प्रलोभन, जातीय एवं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तथा डिजिटल दुष्प्रचार से संबंधित तथ्यों एवं प्रवृत्तियों का अध्ययन किया गया है।

शोध में तुलनात्मक एवं आलोचनात्मक विश्लेषण पद्धति का भी उपयोग किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न चुनावों की प्रवृत्तियों की तुलना करते हुए चुनावी नैतिकता में आए परिवर्तनों को समझने का प्रयास किया गया है। जहाँ आवश्यक हुआ, वहाँ सांख्यिकीय आँकड़ों का उपयोग कर प्रवृत्तियों की व्याख्या की गई है, किंतु यह अध्ययन पूर्णतः सांख्यिकीय शोध न होकर विश्लेषणात्मक अध्ययन है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 11, November 2025

अध्ययन की सीमा यह है कि यह मुख्यतः उपलब्ध प्रकाशित सामग्री एवं रिपोर्टों पर आधारित है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण या साक्षात्कार जैसी प्राथमिक डेटा–संग्रह पद्धतियों का उपयोग इस शोध में नहीं किया गया है। तथापि, विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर प्रस्तुत विश्लेषण चुनावी नैतिकता के ह्रास की व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करता है।

इस प्रकार, शोध प्राविधि का आधार दस्तावेजी विश्लेषण, साहित्य समीक्षा, तुलनात्मक अध्ययन तथा आलोचनात्मक विवेचना है, जिसके माध्यम से विषय की गहन एवं संतुलित समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है।

सामाजिक ध्रुवीकरण से संबंधित चुनावी भाषणों और प्रचार अभियानों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जाति और धर्म आधारित अपीलें अभी भी प्रभावी राजनीतिक रणनीति के रूप में प्रयुक्त हो रही हैं। यह लोकतांत्रिक नैतिकता के विरुद्ध है।

इन सभी आँकड़ों का समेकित विश्लेषण यह संकेत करता है कि चुनावी नैतिकता का ह्रास बहुआयामी कारणों से प्रेरित है और यह केवल कानूनी समस्या न होकर सामाजिक–राजनीतिक संरचना से जुड़ी चुनौती है।

1.11 चर्चा (Discussion)– उपलब्ध डेटा से यह स्पष्ट है कि चुनावी नैतिकता में गिरावट आकस्मिक नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक संस्कृति, सामाजिक संरचना और संस्थागत सीमाओं के सम्मिलित प्रभाव का परिणाम है। राजनीति का बढ़ता व्यावसायीकरण और चुनावों का अत्यधिक प्रतिस्पर्धी स्वरूप प्रत्याशियों को नैतिक सीमाएँ लांघने के लिए प्रेरित करता है।

राजनीतिक दल अक्सर 'विजयी क्षमता' (winnability) को प्राथमिकता देते हैं, जिसके कारण आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को भी टिकट दिया जाता है। यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक आदर्शों के विपरीत है।

मतदाता व्यवहार भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। कई बार स्थानीय प्रभाव, जातीय निष्ठा या अल्पकालिक लाभ की अपेक्षा मतदाता के निर्णय को प्रभावित करती है। इससे दीर्घकालिक लोकतांत्रिक मूल्यों की उपेक्षा होती है।

डिजिटल युग में सूचना का तीव्र प्रवाह लोकतांत्रिक विमर्श को व्यापक बनाता है, किंतु अनियंत्रित दुष्प्रचार लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाता है। नियामक तंत्र की सीमाएँ और तकनीकी जटिलताएँ इस समस्या को और बढ़ाती हैं।

चर्चा से यह भी स्पष्ट होता है कि केवल विधिक सुधार पर्याप्त नहीं हैं। जब तक राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ नहीं किया जाएगा, तब तक चुनावी नैतिकता में स्थायी सुधार संभव नहीं है।

1.12 परिणाम (Findings)–

1. भारतीय चुनावी प्रक्रिया में धनबल का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है।
2. आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों की भागीदारी चुनावी नैतिकता को प्रभावित कर रही है।
3. जातीय और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण चुनावी व्यवहार को प्रभावित करता है।
4. डिजिटल दुष्प्रचार चुनावी पारदर्शिता के लिए नई चुनौती है।
5. निर्वाचन आयोग के पास पर्याप्त शक्तियाँ होने के बावजूद क्रियान्वयन में सीमाएँ विद्यमान हैं।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 11, November 2025

6. चुनावी सुधारों की आवश्यकता व्यापक और बहुआयामी है।
7. मतदाता जागरूकता और नागरिक शिक्षा नैतिक सुधार का महत्वपूर्ण साधन है।

अनुशंसाएं–

1. राजनीतिक चंदे और चुनावी व्यय में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
2. आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएँ।
3. निर्वाचन आयोग को दंडात्मक शक्तियों में वृद्धि दी जाए।
4. डिजिटल मीडिया पर दुष्प्रचार रोकने हेतु प्रभावी नियामक तंत्र विकसित किया जाए।
5. राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को अनिवार्य किया जाए।
6. मतदाता शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए।
7. चुनावी आचार संहिता को विधिक दर्जा देने पर विचार किया जाए।
8. चुनावी व्यय की निगरानी हेतु तकनीकी तंत्र विकसित किया जाए।
9. पारदर्शी ऑनलाइन चंदा प्रणाली लागू की जाए।
10. चुनाव सुधारों पर सर्वदलीय सहमति बनाई जाए।

निष्कर्ष– भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे व्यापक और विविधतापूर्ण लोकतांत्रिक प्रयोग है, जिसकी सफलता का मूलाधार स्वतंत्र, निष्पक्ष और नैतिक चुनाव प्रणाली है। प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि चुनावी नैतिकता का ह्रास एक बहुआयामी समस्या है, जो केवल कानूनी या प्रशासनिक कमियों का परिणाम नहीं है, बल्कि राजनीतिक संस्कृति, सामाजिक संरचना, आर्थिक असमानता और तकनीकी परिवर्तनों के सम्मिलित प्रभाव से उत्पन्न हुई है।

धनबल और बाहुबल का बढ़ता प्रभाव, राजनीति का अपराधीकरण, जातीय एवं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, मतदाताओं को प्रलोभन देना तथा डिजिटल दुष्प्रचार जैसी प्रवृत्तियाँ चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को प्रभावित कर रही हैं। इन प्रवृत्तियों के कारण लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगते हैं तथा जनविश्वास में कमी आती है। यदि चुनावों की निष्पक्षता और पारदर्शिता संदिग्ध हो जाए, तो लोकतंत्र की वैधता भी कमजोर पड़ जाती है।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि चुनावी नैतिकता के संरक्षण हेतु केवल विधिक सुधार पर्याप्त नहीं हैं। निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाना, चुनावी वित्त पोषण में पारदर्शिता लाना, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों पर कठोर प्रतिबंध लगाना तथा डिजिटल दुष्प्रचार पर नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक कदम हैं। इसके साथ ही राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना और नागरिक शिक्षा को सुदृढ़ करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

मतदाता जागरूकता और नैतिक चेतना का विकास चुनावी सुधारों की आधारशिला है। जब तक मतदाता जाति, धर्म या तात्कालिक प्रलोभनों से ऊपर उठकर नीतियों, विकास और सुशासन के आधार पर मतदान नहीं करेंगे, तब तक चुनावी नैतिकता की पुनर्स्थापना अधूरी रहेगी।

अंततः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चुनावी नैतिकता का पुनर्निर्माण भारतीय लोकतंत्र की दीर्घकालिक स्थिरता और सुदृढ़ता के लिए अनिवार्य है। यह कार्य केवल सरकार या निर्वाचन आयोग का नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों, नागरिक समाज, मीडिया और प्रत्येक मतदाता की साझा जिम्मेदारी है। यदि

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 11, November 2025

समन्वित प्रयास किए जाएँ, तो चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और नैतिक बनाया जा सकता है, जिससे भारतीय लोकतंत्र और अधिक सशक्त एवं विश्वसनीय बन सके।

संदर्भ सूची–

1. अग्रवाल, आर. सी. (2018). भारतीय राजनीति और चुनावी व्यवस्था. नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन.
2. अवस्थी, अमरेश (2016). भारतीय लोकतंत्र, सिद्धांत और व्यवहार. लखनऊ, न्यू रॉयल बुक कंपनी.
3. कश्यप, सुभाष सी. (2014). भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था. नई दिल्ली, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग.
4. मिश्र, शिवकुमार (2019). भारतीय चुनाव प्रणाली, समस्याएँ और समाधान. इलाहाबाद, लोकभारती प्रकाशन.
5. राय, धर्मेंद्र (2017). राजनीति में नैतिकता और मूल्य संकट. वाराणसी, ज्ञानमंडल लिमिटेड.
6. शर्मा, रामविलास (2015). लोकतंत्र और भारतीय समाज. नई दिल्ली, वाणी प्रकाशन.
7. सिंह, योगेंद्र (2013). भारतीय राजनीति के बदलते आयाम. नई दिल्ली, राधाकृष्ण प्रकाशन.
8. वर्मा, दिनेश (2020). चुनाव, सत्ता और लोकतंत्र. जयपुर, पॉइंटर पब्लिशर्स.
9- Election Commission of India- 2019- Report on Electoral Reforms- New Delhi: ECI-
10- Election Commission of India- 2024- Statistical Report on General Elections- New Delhi: ECI-
11- Jayal N- G- 2006- Democracy in India- New Delhi: OÛford University Press-
12- Kumar S- 2014- Electoral Politics in India- New Delhi: OÛford University Press-
13- Palshikar S-Suri K- C- & Yadav Y- 2014- Party Competition in Indian States- New Delhi: Oxford University Press-
14- Supreme Court of India- 2013- People*s Union for Civil Liberties v- Union of India ¼NOTA Judgment½- New Delhi-
15- Transparency International- 2021- Corruption Perceptions Index- Berlin: TI-
16- Yadav Y- 2019- Electoral Politics in the Time of Change- New Delhi: Penguin Random House-